रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2013/भाद्र 20, 1935
No. 462] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2013/BHADRA 20, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पूर्ति प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 622(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्ति और निपटान महानिदेशालय सहायक निरीक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी/धातुकर्मीय/वस्त्र/ धातुकर्मीय रासायनिक/काष्ठ) भर्ती नियम 1975 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) में सहायक निदेशक, गुणता आश्वासन, श्रेणी-2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्ति और निपटान महानिदेशालय , सहायक निदेशक (गुणता आश्वासन), श्रेणी-2 भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या , वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह , ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतनवेतनमान/	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक निदेशक (सनगुणता आश्वा) (2-श्रेणी)	172*(2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'(राजपत्रित) , अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2-9,300—34,+.रु 800 ग्रेड वेतन 4,.रु 600	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती के किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
वर्ष से अधिक नहीं 30 टिप्पणी :1 केन्द्रीय सरकार द्वारा समयसमय पर जारी किए गए - अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पणी :2आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो) असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू के र राज्यकश्मी-खंड लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप में रह रहे अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। (	आवश्यक :किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी या वैद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रानिक्स और संचार या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी अथवा टेक्सटाइल्स या पेपर अथवा प्लास्टिक या चमड़ा या रसायन अथवा धातुकर्म इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री अथवा उपरोक्त इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की विधाओं में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) ता । सदस्यपरीक्षा की सहयुक्त 2 और 1 के भाग वांछनीय: यांत्रिकी या वैद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या टेक्सटाइल अथवा कागज या प्लास्टिक या चमड़ा या रसायन अथवा धातुकर्म इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी से संबंधित इंजीनियरी भंडारण के उत्पादन या प्रसंस्करण या विकास या परीक्षण में एक वर्ष का अनुभव । टिप्पण :1 सही विद्या जिसमें इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री अपेक्षित है, प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित की जाएगी । टिप्पण :2अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण :3अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब

	शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिआमेलन / यों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तिद्वारा तथा विभिन्न
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा : टिप्पण :1 इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को वेतन बैंड2-,9 ,34-300, 800 .रु+ ग्रेड वेतन 4, या धातुकर्म इंजीनियरी या वस्त्र) में भंडारण निरीक्षक .रु 200 ने उस ग्रेड वाले ऐसे पदधारियों जिन्हों का पद धारण करने (षण विद्याया विश्ले वर्ष की नियमित सेवा की हो 5 में, पर प्रारम्भ में सहायक निदेशक गुणता) 2-श्रेणी (सनआश्वाके पद के लिए चयन के आधार पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जायेगा । सहायक निदेशक 2-श्रेणी (सनगुणता आश्वा)के ग्रेड में रिक्तियां, जो ऐसी प्रोन्नति के लिए सभी भंडारण निरीक्षकों पर विचार करने के पश्चात उत्पन्न होंगी, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी । टिप्पण :2पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, अर्थात्: (क))iजो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण (कर रहें हैं, या)ii9) 2-बैंड जो मूल काडर या विभाग में वेतन (,34-300, (.रु 800+ ग्रेड वेतन 4, में नियमित आधार पर उस पदया समतुल्य .रु 200पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो, और (ख) जो स्तंभ के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और (7) अनुभव रखते हों । टिप्पण :3प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को वर्ष से अ 56धिक नहीं होगी ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिआमेलन किया / जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति पर विचार करने पुष्टि) (के लिए	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग

	.1अपर महानिदेशक या उप महानिदेशक (सनगुणता आश्वा) गुणता) आश्वासनक्षअध्य - (.2निदेशक - (प्रशासन) सदस्य .3निदेशक – (.आ.गु) सदस्य समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ति पर ण के प्रति निर्देश से प्रोन्नके अधीन टिप्प 10 स्तंभ) (विचार करने के लिए .1अपर महानिदेशक (.आ.गु) या उप महानिदेशक गुणता) क्षअध्य - (सनआश्वा .2निदेशक - (प्रशासन) सदस्य .3निदेशक– (सनगुणता आश्वा) सदस्य	से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं-ए/6-ए-2009/2/12031-ए .II]

अजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SUPPLY DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2013

G.S.R. 622(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate General of Supplies and Disposals Assistant Inspecting Officer (Engineering/ Metallurgical/ Textiles / Metallurgical Chemical/ Timber) Recruitment Rules, 1975, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director of Quality Assurance, Grade II in the Directorate General of Supplies and Disposals, Department of Commerce (Supply Division) in the Ministry of Commerce and Industry, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Directorate General of Supplies and Disposals, Assistant Director (Quality Assurance), Grade II Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification.—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

4. Disqualifications.—No person**,**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living : or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power of Relaxation.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Other Special Categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection or Non-Selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director (Quality Assurance) (Grade II)	172 * * (2013) subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non- Ministerial	Pay Band-2 Rs.9,300-34,800 plus Grade Pay of Rs.4600	Not applicable

Age-limit of direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. **Note 1:** Relaxable for Government servants, upto five years, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)	**Essential:** Bachelors Degree in Engineering or Technology in Mechanical or Electrical or Electronics or Electronics and Communication or Computer Science or Information Technology or Textile or Paper or Plastics or Leather or Chemical or Metallurgical of a recognized university or associate membership examination Part I and Part II of the Institution of Engineers (India) in the above disciplines of Engineering or Technology. **Desirable:** One year experience in manufacturing or processing or development or testing of Engineering Stores related to Mechanical or Electrical or Electronics or Electronics and Communication or Computer Science or Information Technology or Textile or Paper or Plastics or Leather or Chemical or Metallurgical Engineering or Technology **Note 1 :** The exact discipline in which the Bachelors Degree in Engineering or Technology is required will be indicated at the time of each recruitment. **Note 2 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 3 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment. **Note 1** : The incumbents holding the post of Examiner of Stores (Engineering or Textile or Metallurgical or Assaying

		discipline) in Pay Band – 2 Rs. 9300–34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years of regular service in the grade on the date of notification of these rules will be initially considered for promotion on selection basis to the post of Assistant Director (Quality Assurance) Grade-II. The vacancies in the Grade of Assistant Director (Quality Assurance) Grade-II, which will arise after considering all Examiner of Stores for such promotion, shall be filled by direct recruitment. **Note 2 :** Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department: or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7) . **Note 3 :** - The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	Group-B Departmental Confirmation Committee. (for considering confirmation) 1. Additional Director General (Quality Assurance) or Deputy Director General (Quality Assurance) - Chairman 2. Director (Administration) - Member 3. Director (Quality Assurance) -Member Group-B Departmental Promotion Committee. (for considering promotion with reference to Note under Col. 10) 1. Additional Director General (Quality Assurance) or Deputy Director General (Quality Assurance) - Chairman 2. Director (Administration) - Member 3. Director (Quality Assurance) - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-12031/2/2009-A-6/A-II]

AJAY KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, RingRoad,Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.